न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
34 / 22	25.02.2022	30.9.22

पीठासीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

बाबुलाल आत्मज श्री किशन जाति बेरवा निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1. चतुर्भूज पुत्र श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी कोटडादीसिंह तहसील दीगोद कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री रघूवीर सिंह एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :– श्री रामबाबू दाधिच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट बाबत खातेदारी घोषणा एवं विभाजन

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कोटडादीपसिंह तह0 दीगोद जिला कोटा में ख0 न0 1380 रकबा 2.03 है0 , 1395 रकबा 1.38 है0 कुल किता 2 रकबा 3.41 है0 भूमि स्थित है।

यह कि उक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के सामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। केम्प कोर्ट में आपसी विभाजन कराने हेतु आवेदन किया जिस पर कहा गया कि खसरा नम्बर 1380 में से 1.71 है0 भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 के कब्जे में चली आ रही है तथा खसरा नम्बर 1395 की 1.38 है0 व खसरा नम्बर 1380 की शेष 0.32 है0 वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। इसी अनुसार विभाजन किया जावे। यह कि सहवन से जल्दबाजी में पटवार हल्का द्वारा उक्त दोनो खसरा नम्बरान में से आधी भूमि दर्ज कर नये नम्बर कायम कर दिये गये तथा इसी अनुसार नक्शा ट्रेस बना दिया गया जो गलत है। वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार भूमि निम्न प्रकार दर्ज की गयी।

वदी के नाम दर्ज भूमि –

खसरा नम्बर 2280 / 1380 की 1.01 है0 , ख0न0 2281 / 1395 की 0.69 है0 कुल किता 2 रकबा 1.70 है0

प्रतितवादी के नाम दर्ज भूमि –

खसरा नम्बर 1380 की 1.02 है0, खसरा नम्बर 1395 की 0.69 है0 कुल किता 2 रकबा 1.71 है0

यह कि वादी व प्रतिवादी आपस में सगे भाई है और प्रति[illegible] खाते में खसरा नम्बर 1380 में से 1.71 है0 भूमि तथा वादी के खाते में खसरा नम्बर 1395 की 1.38 है0 [illegible] खसरा नम्बर 1380 की शेष भूमि 0.32 है0 कुल 1.70 है0 भूमि दर्ज किया जाकर इसी अनुसार [illegible] घोषित करते हुये राजस्व रिकार्ड का इन्द्राज व नक्शा ट्रेस में दुरस्त किया जाना आवश्यक है। [illegible] उक्तानुसार मोके पर [illegible] प्रतिवादी काबिज काश्त है। यह कि वाद का कारण प्रतिवादी न0 2 के कर्मचारियों द्वारा मोके के अनुसार विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.12.22 12:14:10 IST
Reason: SelfAttested

30.9.22

Scanned with CamScanner

कर गलत रूप से विभाजन करने पर वादी को दिनांक 23.02.2022 को इन्द्राज दुरूस्त करने से इन्कार व वाद पेश करने की कहने पर पैदा हुआ है। उक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में इन्द्राज व नक्शा ट्रेस की दुरूस्ती व उसी अनुसार खातेदार घोषित करने हेतु वाद पेश करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पेश कर वादी द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम कोटडादीपसिंह तह0 दीगोद जिला कोटा के ख0न0 1380 रकबा 1.71 कुल किता 1 रकबा 1.71 है0 भूमि का खातेदार प्रतिवादी नम्बर 1 तथा खसरा नम्बर 1380 की शेष 0.32 है0 व खसरा नम्बर 1395 रकबा 1.38 है0 कुल किता 2 रकबा 1.70 है0 भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

वदीगण की और से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है :–

1. नकल जमाबन्दी संवत् 2075–2078 ग्राम कोटडादीपसिंह तह0 दीगोद
2. उक्त भूमि का नक्ल नक्शा ट्रेस

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण की और से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत जवाब दावा सहमति परक प्रस्तुत कर विशेष कथन निम्न प्रकार किया है:– यह कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पूर्ण रूप से स्वीकार है। जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण डिक्री कर दिया जाने में प्रतिवादी कम 1 को कोई आपत्ति नही है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है और राजीनामें के अनुसार उक्त दावे को डिकी करना चाहते है इसमें प्रतिवादीगण की पूर्ण सहमति है व कोई आपत्ति नही है। उभय पक्ष में आपसी सहमति बनने एवं सहमति से उभय पक्ष में राजीनामा होने पर प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा एक लिखित राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया :–
यह कि पक्षकारान के मध्य आपस में समझौता हो गया है जिसके अनुसार पक्षकारान (वादी व प्रतिवादी कम 1) के मध्य पृथक – पृथक भूमि निम्नानुसार है।

ग्राम	वादी के हिस्स में आयी भूमि		प्रतिवादी कम 1 के हिस्से में आयी भूमि	
कोटडादिपसिंह	2281 / 1395	0.69 है0	1380	1.02 है0
कोटडादिपसिंह	1395	0.69 है0	2280 / 1380	0.69 है0 (उत्तर)
कोटडादिपसिंह	2280 / 1380	0.32 है0 (दक्षिण)		
	कुल किता 3 रकबा 1.70 है0		कुल किता 2 रकबा 1.71 है0	

अतः वाद में राजीनामा पेश कर प्रार्थना है कि वादी का वाद राजीनामा के आधार पर डिकी फरमा दिया जावे।

वाद में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी [illegible] पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वा[illegible] नही की है। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता से करवाई गयी एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्र[illegible] अधिवक्ता से करवायी गयी। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की और से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन व मनन किया गया। [illegible]हसीलदार दीगोद से पत्रावली में पत्रांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.12.22 12:14:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

भू0अभि0 /22/2295 दिनांक 10.06.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो शामिल पत्रावली है। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद राजीनामा व तहसीलदार दीगोद की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया किये जाने योग्य है । वादी एवं प्रतिवादी कम 1 में राजीनामा प्रस्तुत किया है :– ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद के तह0 दीगोद जिला कोटा में ख0 न0 2281/1395 रकबा 0.69 है0, 1395 रकबा 0.69 है0, 1380 रकबा 1.02 है0 , 2280/1380 रकबा 1.01 है0 कुल 4 रकबा 3.41 है0 भूमि का वादीगण व प्रतिवादीकम 1 के मध्य पारिवारिक विभाजन अनुरुप निम्नानुसार भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः वादी का वाद पत्र सहमति पूर्वक राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ग्राम	वादी के हिस्से में आयी भूमि		प्रतिवादी कम 1 के हिस्से में आयी भूमि	
कोटडादिपसिंह	2281/1395	0.69 है0	1380	1.02 है0
कोटडादिपसिंह	1395	0.69 है0	2280/1380	0.69 है0 (उत्तर)
कोटडादिपसिंह	2280/1380	0.32 है0 (दक्षिण)		
	कुल किता 3 रकबा 1.70 है0		कुल किता 2 रकबा 1.71 है0	

मुताबिक निर्णय अनुसार उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाये तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.9.22 को सरे इजलास में सुनाया गया।

नोट :– उक्त खसरा नम्बरान पर अंकित बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कोटडादीपसिंह का रहन यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर
दीगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.12.22 12:14:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner